



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु (चूरु)  
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार-। आर.ए.एस.)

वाद संख्या- 2023/143

दर्ज तिथि-30.10.2023

1. विनोदसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
2. रतन कंवर पुत्री महावीरसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
3. सुमन कंवर पुत्री महावीरसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
4. इन्द्रचंद पुत्र सुरजाराम जाति खाती निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
5. उच्छव कंवर पत्नी मोहन जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
6. नारायण सिंह पुत्र मोहन जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
7. बिमला कंवर पुत्री मोहन निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)

.....वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र किशनसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
2. मांगीकंवर पुत्री किशनसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
3. औंकारसिंह पुत्र मांगुसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
4. भगवानसिंह पुत्र मांगुसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
5. ताराकंवर पुत्री मांगुसिंह जाति दरोगा निवासी सहनाली बड़ी तह. व जिला चूरु (राज.)
6. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतननगर जिला चूरु (राज.) जरिये शाखा प्रबंधक
7. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरु (राज.) जरिये शाखा प्रबंधक
8. चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, शाखा चूरु (राज.) जरिये शाखा प्रबंधक
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरु (राज.)

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी- श्री नन्दराम राहड़, श्री सुरेन्द्र राहड़

प्रतिवादीगण- श्री राजेन्द्र कुमार राजपुरोहित

राजस्य वाद अन्तर्गत धारा- 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955



: पर्चा डिक्री :

दावा वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अन्तर्गत धारा-53 188 बाबत तकसीम आराजी तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की सहमति के आधार पर दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि हाल आराजी खसरा संख्या 98 तादादी 7.4993 हैक्ट. वाके सहनाली बड़ी पटवार मण्डल सहनाली छोटी तहसील चूरु जिला चूरु मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में खाता प्रविष्टियां दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरु को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	नाम खातेदार मय विवरण	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म भूमि
1.	इन्द्रचन्द पुत्र सुरजाराम जाति खाती सा. देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ीदा शाखा रतननगर	98 मिन 98 मिन	1.1994 0.0505	बारानी गै.मु.रास्ता
2.	विनोदसिंह पुत्र महावीरसिंह राहिन 1/3 हि. राहिन चूरु जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चूरु रतनकंवर, सुमनकंवर पुत्री महावीरसिंह हि. 2/3 ब. हि.ब. जाति दरोगा सा. देह खातेदार	98 मिन 98 मिन	1.1993 0.0505	बारानी गै.मु.रास्ता
3.	उच्छवकंवर पत्नि मोहन हि. 1/3 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चूरु नारायणसिंह पुत्र मोहन हि. 1/3 राहिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा चूरु बिमला कंवर पुत्री मोहन हि. 1/3 जाति दरोगा सा. देह खातेदार	98 मिन	1.2499	बारानी
4.	रामसिंह पुत्र किशनसिंह हि. 1/3, मांगीकंवर पुत्री किशनसिंह हि. 1/3, आँकारसिंह, भगवानसिंह, ताराकंवर पिता मांगुसिंह हि. 1/3 ब.हि.ब. जाति दरोगा सा. देह खातेदार	98 मिन 98 मिन	3.6992 0.0505	बारानी गै.मु.रास्ता

नक्शा कुर्रजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करें। तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 19.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार- I) RAS  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु (चूरु)